न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :बी. एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 30/2011

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
तेजा पुत्र चेतनराम जाट निवासी– मालपुरा तह0 गुडामालानी, बाडमेर।		1. कलू पत्नी केसरा जाट निवासी मालपुरा तह0 गुडामालानी, बाडमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2011 जो जिला कलक्टर बाडमेर ने राजस्व अपील संख्या 18/2009 तेजा बनाम कलू वगैराह में पारित किया।

उपस्थितिः––

1. श्री बलवीरसिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री अनिल राठी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 सं 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 20 अगस्त, 2019

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 18/2009 अनवान तेजा बनाम कलू वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 25.2.2011 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जिसका आधार यह था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर बाडमेर ने उनकी अपील यह कहते हुए अपने आदेश दिनांक 25.02.2011 के द्वारा अस्वीकार कर दी कि प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आदेश दिनांक 11.01.2011 में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया एवं बहस उभय पक्ष सुनी एवं उस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश बाडमेर के द्वारा जारी आदेश व डिक्री दिनांक 12.11.09 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील प्रस्तुत कर दी एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.11.2009 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। जिसकी सूचना उसने तहसीलदार को दे दी थी उसकी जानकारी के बाद भी अपीलाधीन नामा0 संख्या 470 दिनांक 18.11.09 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध था। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अपीलाधीन आदेशों दिनांक 25.02.2011 एवं नामा0 संख्या 470 दिनांक 18.11.2009 को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट 3/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावें।

4. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया किया कि अपीलान्ट ने ग्राम मालपुरा के ख0सं0 436 रकबा 48 बीघा 9 बिस्वा तथा ख0सं0 471 रकबा 101 बीघा 5 बिस्वा की उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा का हकतर्कनामा दिनांक 13.9.85 को रेस्पो0 संख्याएक से अपने पक्ष में पंजीबद्ध करवा लिया था जिसको निरस्त कराने हेतु अपर जिला न्यायालय बाडमेर में चुनौती पेश करने पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 12.11.2009 को हकतर्कनामा निरस्त कर दिया। जिस पर रेस्पो0 सं0 दिनांक 17.11.09 को उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के समक्ष आवेदन पेश कर निर्णय अनुसार खातेदारी इन्द्राज करने का निवेदन किया जिसे उन्होंने मूल ही उपतहसीलदार सिणधरी को प्रेषित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के उक्त निर्देशों के कम में तहसीलदार सिणधरी के द्वारा दिनांक 18.11.09 को माननीय अपर जिला न्यायालय के आदेशों के अनुकम में नामा0 संख्या 470 स्वीकृत किया गया। नामा0 संख्या 470 स्वीकृत होने की तिथी तक

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ था।

5. अपीलान्ट के द्वारा अपर जिला न्यायालय बाडमेर के द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 514/2009 पेश की थी उसके संलग्न स्टे पिटिशन पर तथा दिनांक 18.11.09 को Status quo regarding land बनाये रखने का आदेश प्राप्त किया जिसकी प्रमाणित प्रति उन्हें दिनांक 19.11.09 को माननीय न्यायालय द्वारा जारी की गई थी। नायब तहसीलदार सिणधरी द्वारा दिनांक 18.11.09 को नामा0 संख्या 470 स्वीकृत कर दिये जाने पर अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक विविध आवेदन धारा 151 सीसीपी का पेश किया जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 11.1.2011 से अपील के निर्णय होने तक मौकें की भौतिक कब्जे की जैसी स्थिति है, दोनों पक्ष उसी प्रकार अपील के निर्णित होने तक बनाये रखने का आदेश पारित करते हुए निस्तारित कर दिया है अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को खारिज किया गया है जिसमें विधि की कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है। अतः अपीलान्ट की इस द्वितीय अपील को आधारहीन होने से खारिज किया जावे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर बाडमेर एवं नामा0 संख्या 470 को बहाल रखा जावें।

6. हमने प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 25.2.2011 को देखा जो इस प्रकार से है:—

"हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन रेकर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। ग्राम मालपुरा के ख0सं0 436 रकबा 48 बीघा 9 बिस्वा व ख0सं0 471 रकबा 101 बीधा 5 बिस्वा में अपीलान्ट तेजा वल्द चेतनराम का 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 1 कलू पत्नि केसरा का 1/2 हिस्सा एवं देउ बेवा रतना पुत्री खीया का 1/4 हिस्सा है। रेस्पो0 संख्या 1 कलू ने अपनी इस आराजी के 1/2 हिस्सा का हकतर्कनामा दिनांक 13.9.85 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित करवाया। अपीलान्ट के पक्ष में

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

निष्पादित को हकतर्कनामा निरस्त करने हेतु रेस्पो0 संख्या 1 कलू ने एक दीवानी वाद संख्या 5/06 माननीय अपर जिला न्यायालय बाडमेर में पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.09 में मुस्मात कलू द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 13.9.85 को निरस्त घोषित किया गया है। अपीलाधीन नामा0 संख्या 470 माननीय अपर जिला न्यायालय बाडमेर के दीवानी वाद संख्या 5/2006 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.09 में खोला जाकर दिननांक 18.11.09 को रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह है कि प्रश्नगत भूमि जिसके सम्बन्धमें नामा0 पारित किया गया है, उस पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश था और दिनांक 18.11.09 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होते ही अपीलान्ट के वकील द्वारा टेलीफोन से अपीलान्ट का सूचना दी थी और अपीलान्ट ने उप तहसील कार्यालय में लिखित में सूचना कर दी थी। इस आराजी बाबात अन्य दायर अपील में माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश यथास्थिति बनाये रखने का दिनांक 18.11.09 का अवश्य जारी हुआ है, मगर इस आदेश की सूचना उप तहसीलदार को देने सम्बन्धी सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि इसी नामा0 को खारिज करने हेतु अपीलान्ट ने अपनी ओर से दायर एक अन्य अपील संख्या 514/09 में सि.प्र.स. की धारा 151 का आवेदन पेश कर माननीय न्यायालय में निवेदन किया कि इस आराजी से सम्बन्धित नामा0 संख्या 470 दिनांक 18.11.09 को स्वीकृत हुआ है, उसे निरस्त किया जाए। इस पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अपीलान्ट के स्थगन आदेश के साथ धारा 151 सि.प्र.स. के आवेदन पर एक साथ सुनवाई पर लेकर दिनांक 11.01.2011 को आदेश पारित किया कि पक्षकार आराजी के कब्जे की स्थिति यथावत रखने एवं अपील के निर्णय तक किसी प्रकार के हस्तान्तरण नहीं

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

करने से पाबन्द किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश दिनांक 11.01.2011 में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार इस राजस्व न्यायालय को नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार की सहायता पाने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं उपतहसीलदार सिणधरी द्वारा मौजा मालपुरा के नामा0 संख्या 470 पर पारित आदेश दिनांक 18.11.09 यथावत रखा जाता है।"

7. इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत हैकि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 470 के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2011 बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर